प्रेस नोट
जनपद-संतकबीरनगर
दिनाँक 03.07.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराया गया 10,000 रुपये की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रलोभन देकर एवं झूठा विश्वास दिलाकर आवेदक से फ्राडर द्वारा गलत ट्रांजेक्शन करवाया गया था। आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में ट्रांसफर हुए 10,000 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री प्रमोद कुमार पुत्र राम कृष्ण निवासी पजराभिरी थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर दिनाँक 02.12.2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक से फ्राडर द्वारा प्रलोभन देकर एवं झूठा विश्वास दिलाकर आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में पैसा ट्रांसफर करवा लिया गया था। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल थाना बेलहरकला में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 10000 रुपये की धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर हेल्प डेस्कः- थानाध्यक्ष श्री हरिकेश भारती, प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव, का0 दीनानाथ, का0 शैलेश यादव, म0का0 वैष्णवी शुक्ला।

अपील- जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6891 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 6891 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत भोगीपुर चौराहा के पास से कालर द्वारा कार से साइकिल में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01.भजन अमरजीत ग्राम सियरासांथा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निजी वाहन की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु सी0एच0सी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी। ।

पीआरवी स्टाफ- का0 शेषनाथ गोंड, का0 विवेक यादव, हो0गा0चा0 संजीव कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 225 वाहनों से 3,05,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 03.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 225 वाहनों से 3,05,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 03.07.2026 को मा0 न्यायालय- ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्ष कोतवाली खलीलाबाद श्री बब्बन यादव जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 07.11.2015 को अभियुक्त गयासुद्दीन उर्फ रिपोर्टर पुत्र कमाल निवासी सेमरा राजा थाना घुघली जनपद महाराजगंज के पास से 03 किलो अवैध गांजा बरामद करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री बब्बन यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 1103/2015 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है।

उक्त प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त गयासुद्दीन उर्फ रिपोर्टर को अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,50,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।